(133)

मध्यप्रदेश शासन

स्कूल शिक्षा विभाग

मंत्रालय

वल्लभ भवन, भोपाल-462004

क्र. एफ. 44 [illegible]/85/बी-2/20 भोपाल, दिनांक 30-10-96

प्रति,

समस्त मुख्य कार्यपालन अधिकारी,
जिला पंचायत/जनपद पंचायत,
मध्यप्रदेश।

विषय :—पंचायतों के अधिकारों, कर्तव्यों एवं कार्यक्रमों के विकेन्द्रीकरण के संबंध में अधिकारों का प्रत्यायोजन।

संविधान के 73वें संशोधन के अन्तर्गत त्रि-स्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को सशक्त बनाने तथा स्वशासन की इकाई के रूप में विकसित करने के लिए राज्य शासन के द्वारा किये संकल्प को स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में क्रियान्वित करने के लिये नये कदम उठाने की आवश्यकता अनुभव की गई है। त्रि-स्तरीय पंचायतों को अधिकार देने के लिये इस विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश क्र. एफ. 44/65/85/20/2/94, दिनांक 16/19 अगस्त, 94 तथा तत्संबंधी अनुवर्ती आदेश अधिक्रमित करते हुये पंचायत राज अधिनियम, 1995 की धारा 53 के अन्तर्गत निम्नानुसार आदेश प्रसारित किये जाते हैं :—

1. जिला पंचायतों द्वारा किये जाने वाले कार्य.—

1.1 शालाओं का प्रबंधन एवम् संचालन :—

जनपद क्षेत्र में स्थित सभी शालाओं यथा कनिष्ठ प्राथमिक, प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूल का प्रबंधन एवं संचालन जिला पंचायत के अधीन रहेगा। प्रबंधन एवं संचालन के अन्तर्गत निम्नलिखित कार्य रहेंगे:—

प्रबंधकीय व्यवस्था :

(i) विद्यालय भवन की मरम्मत, साफ-सफाई एवं रख-रखाव;
(ii) विद्यालय में बैठने के लिये फर्नीचर, टाटपट्टी आदि;
(iii) शाला स्टाफ;
(iv) खेल मैदान की व्यवस्था;
(v) पर्यावरण-संरक्षण, वृक्षारोपण आदि;
(vi) पेयजल तथा शौचालय, और
(vii) ग्राम शिक्षा समितियों का गठन।

अध्यापन :

(i) शिक्षकों व विद्यार्थियों की समय पर उपस्थिति को सुनिश्चित करना;
(ii) विद्यालयों में नियमित अध्यापन सुनिश्चित करना;
(iii) शाला विकास से संबंधित समस्त कार्य करना;
(iv) विभिन्न केन्द्रीय एवं राज्य शासन द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति एवं क्रियान्वयन की समीक्षा करना;
(v) विद्यालय की विभिन्न गतिविधियों यथा सांस्कृतिक, साहित्यिक, खेल, एन.सी.सी., एन.एस.एस., स्काउट आदि को प्रोत्साहन देना;

(vi) शासकीय एवं अशासकीय निधि का समुचित उपयोग सुनिश्चित करना;
(vii) छात्र संख्या वृद्धि अभियान चलाना एवं उसमें प्रगति करना; और
(viii) शिक्षा के लोक व्यापीकरण का जन-जन तक प्रसार।

(134)

1.2 शाला भवन आदि की व्यवस्था :

हस्तांतरण (i) स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित सभी कनिष्ठ प्राथमिक, प्राथमिक, मिडिल, हाईस्कूल एवं हायर सेकेण्डरी स्कूलों के भवन, उपकरणों तथा समस्त चल-अचल, संपत्तियां जिला पंचायतों को सौंपी जाती हैं;

बजटीय सहायता (ii) हस्तांतरित भवन और संपत्तियों के रख-रखाव का दायित्व जिला पंचायतों का होगा। इसके लिये राज्य शासन द्वारा जिला पंचायतों को उतनी राशि उपलब्ध कराई जायेगी, जो अभी रख-रखाव के लिये राज्य शासन को उपलब्ध होती है;

शाला भवन निर्माण तथा विस्तार (iii) शालाओं के लिये भवनों का निर्माण या विस्तार कार्य भी जिला पंचायत द्वारा किया जायेगा। इसके लिये राज्य शासन के बजट में प्रावधानुसार आवंटन जिला पंचायतों को उपलब्ध कराया जायेगा;

भूमि का उपयोग (iv) ग्रामीण क्षेत्रों की शिक्षा विभाग की भूमि इन शर्तों पर जिला पंचायतों को हस्तांतरित होगी कि भूमि का उपयोग केवल शिक्षा संबंधी कार्य के लिये ही होगा। भूमि के उपयोग में परिवर्तन के लिये राज्य शासन की अनुमति लेना आवश्यक होगा;

शाला भवनों के किराये का भुगतान (v) जिला पंचायतों को हस्तांतरित किये जाने वाली ऐसी शालाएं जो किराये के भवन में चल रही हैं, उनके किराये का भुगतान करने का दायित्व जिला पंचायतों को होगा। किराया भुगतान करने के लिये राशि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जिला पंचायतों को उपलब्ध कराई जाएगी। किराये के भवनों के संबंध में भवन मालिक के साथ वर्तमान में स्कूल शिक्षा विभाग से अनुबंध है। अवधि समाप्त होने के बाद जब नवीन अनुबंध निष्पादित किया जाए, तब वह जिला पंचायत द्वारा भवन मालिक के साथ होगा।

1.3 शालाओं में अवकाश तथा अध्ययन की अवधि :

जिला पंचायतों को सौंपी गई शालाओं में शैक्षणिक समय का निर्धारण जिला पंचायत द्वारा किया जावेगा। स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार स्कूल कितने समय खोला जाएं एवं कब तक चलाया जाए तथा साप्ताहिक अवकाश का दिन कहां कब हो यह जिला पंचायत द्वारा निम्नांकित तथ्यों को ध्यान में रखते हुए निर्धारित किया जावेगा:—

शालाओं में अवकाश :

(i) सभी शालाएं एक शिक्षा सत्र में कम से कम उतने दिन लगेंगी जितने दिन की सीमा शासन समय-समय पर घोषित करे;

(ii) राज्य शासन द्वारा घोषित राजपत्रित अवकाश के दिन शालाएं बन्द रहेंगी। रविवार को साप्ताहिक अवकाश रहेगा, परन्तु यदि ग्रामीण क्षेत्र में साप्ताहिक अवकाश स्थानीय बाजार के दिन अथवा सप्ताह के अन्य किसी दिन रखना चाहें तो उसकी स्वीकृति जिला-पंचायत दे सकती है;

(iii) किसी शाला के एक सत्र में स्थानीय त्यौहारों तथा अन्य कारणों के फलस्वरुप होने वाली छुट्टियों की संख्या (कलेक्टर द्वारा घोषित छुट्टियों को मिलाकर) तीन दिन से अधिक नहीं होगी;

(iv) ग्रीष्मकालीन, शीतकालीन तथा दशहरा, दीपावली अवकाश का निर्धारण स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा ही किया जावेगा;

(v) किसी क्षेत्र में महामारी, बाढ़ आदि की विशेष स्थिति में जिला पंचायत के आदेशानुसार शालाएं बंद की जा सकेंगी।

अध्ययन का समय :

(i) प्रत्येक प्राथमिक शाला में वास्तविक अध्ययन का समय 6 घंटे (360 मिनिट) तथा अन्य (मिडिल/हाईस्कूल/हायर सेकेण्डरी) शालाओं में 6½ घंटे (390 मिनिट) का रहेगा;

(ii) उन शालाओं में जहां एक ही भवन में एक से अधिक पारियां लगती हों, वहां प्राथमिक शाला में कोई भी पारी 4 घंटे (240 मिनिट) से कम की नहीं होगी तथा अन्य शालाओं में कोई भी पारी 4½ घंटे (270 मिनिट) से कम की नहीं होगी;

(iii) जहां शालाएं तीन पारियों में लगाना आवश्यक हो वहां, अध्ययन का समय निर्धारित करने का अधिकार संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण को रहेगा। परन्तु तीन पारियों में शाला लगाने की अनुमति आयुक्त, लोक शिक्षण, म.प्र. से प्राप्त करना होगी।

1.4 शिक्षण सामग्री का क्रय :

शालाओं के लिये लगने वाली आवश्यक सामग्री, उपकरण आदि क्रय का दायित्व जिला पंचायतों का होगा। जिला पंचायत यह क्रय राज्य शासन द्वारा निर्धारित क्रय प्रक्रिया अनुसार करेगी। इसके लिये आवश्यक राशि राज्य शासन द्वारा दी जायेगी।

1.5 निःशुल्क पाठ्यपुस्तकों का प्रदाय एवं बुक बैंक योजना :

इस योजना के अन्तर्गत पात्रता वाले वर्ग निम्नानुसार हैं :—

पात्रता :

(i) **अनुसूचि जाति एवं अनुसूचित जनजाति के विद्यार्थी :—कक्षा 3 से 5 तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण तथा कक्षा 6 से 12 तक बुक बैंक योजना के अन्तर्गत। (कक्षा 1 से 2 के उपरोक्त वर्गों के विद्यार्थी के लिये यह योजना आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा क्रियान्वित की जाती है)**

(ii) अन्य पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थी :—कक्षा 1 से 5 तक निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण।

(iii) समस्त बालिकाएं—कक्षा 1 से 3 तक।

(iv) सामान्य वर्ग के, गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवारों के छात्र-कक्षा 1 से 3। (इसके लिये जिला ग्रामीण विकास अभिकरण द्वारा रखी गयी गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की सूची मान्य होगी)।

वितरण प्रक्रिया :

पाठ्य पुस्तकों का प्रदाय संबंधित जिलों के जिला पंचायतों को राज्य शासन की ओर से किया जायेगा। हितग्राही विद्यार्थियों को पाठ्यपुस्तकों के वितरण की व्यवस्था जिला पंचायत के निर्देशन में उप-संचालक शिक्षा द्वारा की जायेगी।

1.6 निःशुल्क गणवेश वितरण :

प्राथमिक स्तर पर कक्षा 1 से 5 तक की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जन-जाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग की छात्राओं को निःशुल्क गणवेश प्रदाय किये जाते हैं। राज्य शासन द्वारा गणवेश बनाने के लिये निर्धारित बुनकर संस्थाओं के माध्यम से आवश्यक कपड़ा जिला पंचायतों को उपलब्ध कराया जावेगा। जिला पंचायतें इस कपड़े के गणवेश अपने समस्त पढ़ो कमाओं-योजना के केन्द्रों में सिलाई करवाकर संबंधित हितग्राही छात्र-छात्राओं को वितरित कराएंगी।

(136)

1.7 औपचारिकेतर शिक्षा कार्यक्रम :

उद्देश्य तथा पात्रता (i) आर्थिक तथा सामाजिक दृष्टि से कमजोर वर्ग के ऐसे बच्चे जो कि विभिन्न कारणों से या तो स्कूल जाते ही नहीं हैं या पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ देते हैं, उनके लिये प्रायमरी तथा मिडिल स्कूल स्तर की शिक्षा सुविधा उपलब्ध कराना इस योजना का उद्देश्य है। इस योजना के हितग्राही 9 से 14 वर्ष के आयु समूह के बालक/बालिकाएं हैं। जहां कोई प्राथमिक शाला उपलब्ध न हों वहां के लिये 6 से 14 वर्ष के आयु समूह के बच्चों को भी इस योजना का लाभ दिया जा सकता है।

केन्द्रों की स्थापना (ii) जिले में नये औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्र खोलने के लिये प्रस्ताव परिशिष्ट-1 में निर्धारित मापदण्डों के अनुसार उप संचालक शिक्षा द्वारा तैयार किये जावेंगे। राज्य शासन से नये केन्द्र खोलने के लिये स्वीकृति मिलने पर ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रों को संचालित करने के आदेश जिला पंचायतों द्वारा जारी किये जावेंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में पूर्व से संचालित औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों का संचालन जिला पंचायतों के अधीन रहेगा। किसी केन्द्र के अनावश्यक होने अथवा बंद होने की स्थिति में उसी परियोजना क्षेत्र में उसे दूसरे स्थान पर स्थानांतरित करने का अधिकार जिला पंचायत को रहेगा।

अनुदेशक एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति एवं मानदेय का भुगतान (iii) औपचारिकेतर केन्द्रों पर अनुदेशकों की नियुक्ति ग्राम पंचायतों की अनुशंसा पर जिला पंचायत द्वारा की जावेगी। पर्यवेक्षकों की नियुक्ति जनपद पंचायत की अनुशंसा पर जिला पंचायत द्वारा की जावेगी। अनुदेशकों को मानदेय का भुगतान ग्राम शिक्षा समिति के प्रमाणीकरण के उपरांत जनपद पंचायतों द्वारा किया जावेगा। पर्यवेक्षकों के मानदेय का भुगतान जनपद पंचायतों द्वारा किया जावेगा। मानदेय भुगतान के लिये आवंटन आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा जिला पंचायत को दिया जावेगा। जिला पंचायत जनपद पंचायतों को मानदेय का आवंटन वितरित करेगी।

केन्द्रों के लिये सामग्री का क्रय (iv) केन्द्रों पर सामग्री की आवश्यकता का आकलन जिले के उप संचालक शिक्षा द्वारा किया जावेगा। संकलित आंकलन की जानकारी उप संचालक द्वारा जिला पंचायत को उपलब्ध कराई जावेगी। सामग्री के क्रय की कार्यवाही आपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना की सामग्री के संबंध में विभाग द्वारा गठित निर्धारित समिति द्वारा की जायेगी। सामग्री का क्रय भण्डार क्रय नियमों के अनुसार किया जायेगा। क्रय की जानेवाली सामग्री में पाठ्यपुस्तकों का क्रय सम्मिलित नहीं है। केन्द्रों के लिये पाठ्यपुस्तकें क्रय के आदेश उप संचालक शिक्षा द्वारा सीधे पाठ्य पुस्तक निगम को दिये जावेंगे। पाठ्य पुस्तक निगम उप संचालकों को प्रदाय आदेश के अनुसार पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करायेगा। प्रदाय पाठ्यपुस्तकों का भुगतान उप संचालकों द्वारा नहीं किया जावेगा। आयुक्त लोक शिक्षण द्वारा पाठ्य पुस्तकों के लिये प्रावधानित राशि पाठ्य पुस्तक निगम के पी.डी. खाते में जमा कराई जावेगी। उप संचालक पाठ्य पुस्तक निगम से प्राप्त पुस्तकों के प्राप्त होने का प्रमाण-पत्र पाठ्य पुस्तक निगम तथा आयुक्त लोक शिक्षण को भेजेंगे।

योजना की समीक्षा (v) जिला पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा जिले में चल रहे औपचारिकेत्तर शिक्षा केन्द्रों की समीक्षा कम से कम प्रत्येक माह में दो बार की जाये। इसमें औपचारिकेत्तर शिक्षा के सभी पहलुओं पर विचार किया जायेगा। अनुदेशक एवं पर्यवेक्षकों की नियुक्ति, मानदेय के भुगतान तथा औपचारिकेतर शिक्षा हेतु सामग्री के क्रय के संबंध में की गई कार्यवाही को भी समीक्षा में शामिल किया जायेगा। इस समीक्षा प्रतिवेदन की एक प्रति शासन तथा लोक शिक्षण संचालनालय को भेजी जायेगी।

8 मध्याह्न भोजन कार्यक्रम :—

प्रदेश में मध्याह्न भोजन कार्यक्रम 2 अक्टूबर 1995 से लागू किया गया है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बच्चों को शालाओं की ओर कर्षित करना तथा उन्हें पौष्टिक आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत खाद्यान्न भारत शासन द्वारा उपलब्ध कराया जाता है, योजना के कार्यान्वयन के संबंध में ग्रामीण विकास विभाग द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये हैं। उन निर्देशों के अनुसार ही योजना क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाये।

(137)

ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड योजना :

इस योजना का मुख्य उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा को बाल केन्द्रित एवं गतिविधियों पर आधारित बनाना है। इस योजना के अन्तर्गत स्वीकृत शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति की कार्यवाही पंचायतों द्वारा शिक्षाकर्मी हेतु निर्धारित प्रक्रिया अनुसार की जावेगी योजनान्तर्गत सामग्री के लिये जिला पंचायत के अध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित समिति यथावत कार्य करती रहेगी। सामग्री के चयन के लिये भी पहले त समिति यथावत काम करती रहेगी। इस संबंध में परिशिष्ट दो पर संलग्न, विभाग के ज्ञाप क्र. एफ. 61-11/94/बी-2/20, दिनांक 1995 में दिये गये निर्देशानुसार कार्यवाही की जायेगी।

छात्रवृत्ति और शिष्यवृत्ति :

निम्नांकित छात्रवृत्तियां और शिष्यवृत्तियों का वितरण जिला पंचायत द्वारा किया जावेगा :—

(i) उच्चतर माध्यमिक छात्रवृत्तियां/शिष्यवृत्तियां,
(ii) पूर्व माध्यमिक शाला छात्रवृत्तियां,
(iii) संस्कृत शिष्यावृत्तियां,
(iv) संगीत तथा कला छात्रवृत्तियां,
(v) संगीत तथा कला के लिये विशेष छात्रवृत्तियां,
(vi) शालाओं के लिये खेलकूद छात्रवृत्तियां,
(vii) शारीरिक शिक्षा छात्रवृत्तियां,
(viii) विज्ञान के मेधावी छात्रों की खोज छात्रवृत्तियां,
(ix) मृत शासकीय कर्मचारियों के बच्चों की विशेष शिष्यवृत्तियां,
(x) निर्धनता तथा योग्यता के आधार पर विशेष छात्रवृत्ति अथवा एक मुश्त अनुदान,
(xi) ग्रामीण छात्रवृत्ति।

इस कार्य के लिये धन राशि आयुक्त, लोक शिक्षण द्वारा जिला पंचायतों को उपलब्ध कराई जायेगी।

स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा किये जाने वाले कार्य :

निम्नांकित गतिविधियों के संबंध में अधिकार एवं दायित्व स्कूल शिक्षा विभाग का रहेगा :—

(i) शालाओं को मान्यता देना,
(ii) पाठ्यक्रम एवं पुस्तकों का निर्धारण करना,
(iii) परीक्षा का आयोजन एवं संचालन,
(iv) छात्रों के शैक्षणिक स्तर का मूल्यांकन,
(v) वार्षिक शिक्षा कैलेण्डर का निर्माण,
(vi) शालाओं में नवीन विषय प्रारंभ करने की स्वीकृति देना,
(vii) समस्त संभागीय एवं राज्य स्तरीय पाठ्येतर गतिविधियां,
(viii) शालाओं में संचालित गतिविधियों में नवाचार,
(ix) शैक्षणिक सांख्यिकी संग्रह तथा विधानसभा संबंधी समस्त कार्य,
(x) केन्द्रीय तथा केन्द्र प्रवर्तित योजनाओं के क्रियान्वयन का अधीक्षण तथा अनुश्रवण,
(xi) शिक्षकों एवं कर्मचारियों के प्रशिक्षण का दायित्व, शिक्षकों के प्रशिक्षण की संस्था जैसे डाईट, बी.टी.आई. आदि के पूरे अमले का नियंत्रण,
(xii) नई शालायें खोलने तथा राज्य शासन से प्राप्त राशि से भवन निर्माण या विस्तार आदि के संबंध में निर्णय लेने का अधिकार, राज्य शासन द्वारा बताई गई नीति के अन्तर्गत जिला योजना समिति का होगा।

स्टाफ का अंतरण :

पंचायत तथा स्कूल शिक्षा विभाग में उपर्युक्त अनुसार काम के विभाजन, संचालन एवं क्रियान्वयन के लिये अमले के बंटवारे की व्यवस्था के संबंध में राज्य शासन द्वारा जारी किये गये निर्देश संलग्नक तीन पर उपलब्ध हैं।

परिशिष्ट :

शाला विशेष के लिये अनुबंधित किये जायेंगे और उन पर जिला पंचायतों द्वारा नियंत्रण किया जायेगा।

5. अमले पर नियंत्रण :

ग्रामीण क्षेत्र स्थित जिला पंचायत को हस्तांतरित शालाओं में कार्यरत अमले के संबंध में नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी को प्राप्त सभी प्रशासनिक अधिकार जिला पंचायत को रहेंगे। जिलों के उपसंचालक शिक्षा निर्णयों का निम्नानुसार क्रियान्वयन करेंगे :

(i) जिला पंचायत द्वारा अभी तक नियुक्त अथवा भविष्य में नियुक्त किये जाने वाले सारे अमले के संबंध में संपूर्ण प्रशासनिक अधिकार जिला पंचायत को होगा।

(ii) शासन द्वारा विभिन्न स्तरों पर नियुक्त परन्तु जिला पंचायत को हस्तांतरित अमले पर अनुशासनात्मक कार्यवाही के अलावा शेष सभी प्रशासनिक अधिकार जिला पंचायत को होंगे।

(iii) इसके लिये जहां शास्ति देने का अधिकार उपसंचालक, शिक्षा को है, वहां यह अधिकार बरकरार रहेगा परन्तु जहां यह अधिकार संभाग या राज्य स्तर के अधिकारियों में केन्द्रित है, वहां दीर्घ शास्ति का अधिकार तो विद्यमान अधिकारी के पास यथावत् बना रहेगा परन्तु लघु शास्ति का अधिकार कलेक्टर को प्रत्यायोजित किये जायेंगे जिनका उपयोग वह जिला पंचायत के परामर्श को ध्यान में रखते हुए अपने विवेक से करेंगे।

6. स्थानांतरण :

अपने क्षेत्र के अन्तर्गत कार्यरत अमले का स्थानांतरण जिला पंचायत शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित नीति के अनुसार करेगी।

7. नये पदों का निर्माण :

किसी भी शाला या कार्यालय में नये पद के निर्माण का अधिकार जिला पंचायत को नहीं होगा। जिन शालाओं और कार्यालयों में जो पद शासन द्वारा स्वीकृत हैं, उतने ही लोगों की पद स्थापना जिला पंचायत द्वारा की जायेगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

(डॉ. सुशील त्रिवेदी)
उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग.

पृ. क्र. एफ. 44-65/85/बी-2/20 भोपाल, दिनांक 30-10-96

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख सचिव, म.प्र.शासन, पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग, भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्थानीय शासन विभाग, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, आदिम जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग, भोपाल।
4. समस्त कलेक्टर, मध्यप्रदेश।
5. आयुक्त लोक शिक्षण, म.प्र. भोपाल।
6. समस्त संभागीय कमिश्नर, मध्यप्रदेश।
7. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक/उपसंचालक/विकासखण्ड शिक्षा अधिकारी मध्यप्रदेश।

उपसचिव,
मध्यप्रदेश शासन, स्कूल शिक्षा विभाग।

(139)

परिशिष्ट-1

संचालनालय, लोक शिक्षण
मध्यप्रदेश

क्रमांक/औ.शि./ए./7/94-95/177 भोपाल, दिनांक 27-04-95

प्रति,

उप संचालक, शिक्षा (समस्त जिला)
मध्यप्रदेश।

विषय :—5,000 नवीन केन्द्रों के विरुद्ध 100 अथवा 80 से 120 केन्द्रों की नवीन परियोजनाओं के (पुनर्गठन उपरांत) प्रस्ताव प्रस्तुत करने संबंधी।

सन्दर्भ :—इस कार्यालय का पत्र क्रमांक औ.शि./ए/7/94/342/, दिनांक 27-9-94 क्रमांक 382, दिनांक 15-11-94 तथा क्र. 399, दि. 14-12-94 एवं तार दिनांक 25-01-95.

उपरोक्त विषयांतर्गत प्रकरण में यह देखने में आया है कि जिले में नई परियोजनाएं निर्मित करने के संबंध में संबंधित अधिकारी इसकी प्रक्रिया को ठीक-ठीक ढंग से नहीं समझे हैं। फलतः यातो वे नई परियोजना के प्रस्ताव नहीं भेज पा रहे हैं अथवा वे जो प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं वे त्रुटि पूर्ण होते हैं।

अतः जिले में औपचारिकेतर शिक्षा, की नवीन परियोजना का प्रस्ताव तैयार करने के लिये निम्नानुसार मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

कृपया तदनुसार नवीन परियोजना का प्रस्ताव तैयार करने के लिये निम्नानुसार मार्गदर्शन दिया जा रहा है।

कृपया तदनुसार नवीन परियोजना का प्रस्ताव तैयार कर जिला पंचायत/(एवं) जनपद पंचायतों से अनुमोदन उपरांत संभाग को तत्काल प्रेषित करें जिससे यह संचालनालय में प्राप्त हो सके।

नवीन परियोजना की पूर्व तैयारी

1. परियोजना अधिकारी द्वारा अपनी परियोजना के समूचे क्षेत्र का भ्रमण कर पूर्व निर्देशानुसार ऐसे क्षेत्रों का सर्वेक्षण किया जावे जहां औपचारिकेतर शिक्षा केन्द्रों की आवश्यकता है तथा वे खोले जा सकते हों तथा शाला विहीन गांव, 200 या इससे कम आबादी वाले गांव/झुग्गी-झोपड़ पट्टी के क्षेत्र जहां केन्द्र के लिये छात्र/छात्रायें उपलब्ध हों। इन क्षेत्रों के पंच, अथवा सरपंचों से केन्द्र खोलने के लिये सहयोग प्राप्त करें। यदि केन्द्र/केन्द्रों की आवश्यकता नहीं हो तो उनसे प्रमाण-पत्र लें।

2. इस प्रकार किये गये सर्वेक्षण के आधार पर एकत्रित की गई जानकारी अनुसार केन्द्रों की संख्या यदि जिला स्तर पर सौ या 50 से कम हो जाती है तो जिले के सहायक संचालक, (औप.शि.) सभी परियोजना अधिकारियों की सहायता से पुरानी परियोजनाओं की भौगोलिक सीमाओं में परिवर्तन कर नई परियोजना के केन्द्रों को सम्मिलित कर 100-100 या 80 से 120 केन्द्रों की परियोजना में पुनर्गठित करलें।

इस प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जावे की पुरानी (वर्तमान में संचालित) परियोजना के नामों में कोई परिवर्तन न किया जावे। इस नवीन परियोजना का नामकरण यथोचित कर लिया जावे।

नवीन परियोजना के उपरोक्तानुसार पुनर्गठन करते समय यदि विकास खण्ड/विकास खण्डों को सम्मिलित करने में परिवर्तन आता है तो दिया जावे।

(140)

3. उपरोक्तानुसार नवीन परियोजना/नवीन परियोजनाओं के नवीन केन्द्र स्थापित करते समय एवं पुनर्गठित करते समय यह भी ध्यान रखा जावे कि केन्द्रों की पर्यवेक्षण की दृष्टि से 8-8 अथवा 10-10 कि.मी. के दस केन्द्र परिसर भी निर्मित हों तथा इन परिसरों में कुछ पुराने केन्द्र भी संचालित हों जिससे पर्यवेक्षक इन केन्द्रों का पर्यवेक्षण कर सकें तथा आवश्यकता पड़ने पर पुराने अनुदेशकों में से नियमानुसार पर्यवेक्षक बनाये जा सकें। इसके लिये नवीन केन्द्र पुराने केन्द्रों के निकट स्थापित किये जा सकते हैं। पुनर्गठन के उपरांत परियोजनाओं के पर्यवेक्षक परिसरों के केन्द्रों में अब निर्धारित दूरी से अधिक दूरी नहीं रहेगी यह प्रयत्न किया जावे।

4. यदि सर्वेक्षणों के उपरांत भी नवीन परियोजना हेतु केन्द्रों की आवश्यकता ना हो तो स्पष्ट उल्लेख करें तथा तत्काल निरंक जानकारी संभाग को प्रस्तुत करें जिससे वह अन्य प्रस्तावों के साथ इस कार्यालय में प्राप्त हो सके। जानकारी जिला पंचायत/जनपद पंचायत से प्रति हस्ताक्षरित अवश्य करायें।

5. नवीन परियोजना एवं पुनर्गठित परियोजनाओं का मानचित्र तैयार कराकर प्रस्ताव के साथ संलग्न किया जावे जिसमें आवश्यक जानकारियों के साथ परियोजना विकास खण्ड तथा स्तरवार केन्द्र दर्शाये जावें।

उपरोक्तानुसार नवीन परियोजना/परियोजनाओं के प्रस्ताव निम्नलिखित प्रारूपों में जानकारी के साथ संबंधित संभागों को प्रस्तुत करें।

नवीन परियोजना हेतु प्रस्ताव प्रारूप (अ)

जिले का नाम ..... संभाग का नाम .....

क्रमांक	वर्तमान में स्वीकृत परियोजनाओं के नाम	परियोजना में सम्मिलित विकास खण्डों के नाम (परियोजनानुसार)	परियोजना तथा सम्मिलित विकास खण्डों में वर्तमान में स्वीकृत केन्द्र संख्या			
			सह. शिक्षा	बालिका	माध्यमिक	योग

दिनांक ..... पूरा नाम
हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
सहा. संचालक (औ.शि.)

दिनांक ..... हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
उप संचालक, शिक्षा.

दिनांक .....

प्रति हस्ताक्षर
अध्यक्ष,
जनपद पंचायत/जिला पंचायत
पद एवं मुद्रा

(141)

नवीन परियोजनाओं हेतु प्रस्ताव प्रारूप (ब)

जिले का नाम . . . . . संभाग का नाम . . . . . .

क्रमांक	प्रस्तावित परियोजना का नाम	नवीन परियोजना में सम्मिलित विकास खण्डों के नाम	नवीन परियोजना हेतु प्रस्तावित केन्द्र (सम्मिलित विकासखण्डवार)			
			सह. शिक्षा	बालिका	माध्यमिक	योग
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

दिनांक . . . . . दिनांक . . . . . .

पूरा नाम . . . . . .

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
सहा. संचालक (औ.शि.)

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
उप संचालक, शिक्षा

प्रति हस्ताक्षर
अध्यक्ष,
जनपद पंचायत/जिला पंचायत
दि. . . . . (पदमुद्रा)

नवीन परियोजना के लिये प्रस्तावित केन्द्रों की सूची प्रारूप (स)

जिले का नाम . . . . . संभाग का नाम . . . . . .

क्रमांक	केन्द्र का स्तर तथा नाम प्राथमिक/माध्यमिक	अनुदेशक/अनुदेशकों का नाम	दर्ज छात्र संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)

नोट :—प्राथमिक/बालिका/अथवा माध्यमिक केन्द्र क्रम से सूची में सम्मिलित करें तथा केन्द्र स्तरों का स्पष्ट उल्लेख करें।

दिनांक . . . . . दिनांक . . . . . .

पूरा नाम . . . . . .

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
सहा. संचालक (औ.शि.)

हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा
उप संचालक, शिक्षा

प्रति हस्ताक्षर
अध्यक्ष,
जनपद पंचायत/जिला पंचायत
दि. . . . . (पदमुद्रा)